



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272980
CG-DL-E-30052026-272980

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2648]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2648]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2741(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, NH-753C के कि.मी. 186 से कि.मी. 286.197 तक महाराष्ट्र राज्य के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH753C पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	उपविभागीय कार्यालय, चांदूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH753C के कि.मी 186 से कि.मी 286.197 तक	महाराष्ट्र	अमरावती	नंदगाव-खंडेश्वर	1	मंगरूळ चावला
						2	पिंपळगाव निपाणी
						3	गावनेर तळेगाव
						4	खरबी गुंड
					चांदूर रेल्वे	1	मोगरा
						2	टिटवा
						3	घुईखेड
					धामणगांव रेल्वे	1	बोरगाव धांडे
						2	भातकुली
						3	बोरवाघळ
						4	तळेगाव दशासर
						5	देवगाव

[फा. सं. RW/NH-12014/09/2026-MAH/ZONE-WEST]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

S.O.2741(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 186 to 286.197 of NH -753C in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.NH- 753C in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Sub Divisional Office, Chandur	NH753C KM 186 TO KM 286.197	MAHARASHTRA	AMRAVATI	Nandgaon-Khandeshwar	1 Mangrul Chawala 2 Pimpalgaon Nipani 3 Gavner talegaon 4 Kharbi Gund
					Chandur Railway	1 Mogra 2 Titwa 3 Ghuikhed
					Dhamangaon Railway	1 Borgaon Dhande 2 Bhatkuli 3 Borwaghal 4 Talegaon Dashasar 5 Deogaon

[F. No. RW/NH-12014/09/2026-MAH/ZONE-WEST]

SHAIKH AMINKHAN, Director